



### कार्यालय-ज्ञाप

परीक्षा समिति की 16वीं बैठक दिनांक 30.09.2024 के निर्गत कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-7/16 में विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को अंक-तालिका/उपाधि की द्वितीय प्रति उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित शुल्क के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा निम्नवत् निर्णय प्रदान करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया :-

“विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की मूल अंक-तालिका/उपाधि खो जाने की दशा में द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र, एफ0आई0आर0 से सम्बन्धित प्रपत्र एवं शपथ-पत्र (शपथ-पत्र इस आशय का कि यदि खोई हुई अंकतालिका/उपाधि की मूल प्रति वापस प्राप्त होने पर उसका गलत उपयोग किसी भी दशा में न करते हुए द्वितीय प्रति विश्वविद्यालय में वापस की जायेगी) प्राप्त करते हुए शुल्क के रूप में गैर दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु धनराशि रू0 200/-, दृष्टिबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क एवं अन्य दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु धनराशि रू0 100/- (प्रति अंक-तालिका एवं उपाधि) निर्धारित करते हुए द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने तथा इसी प्रकार अंक-तालिका एवं उपाधि में संशोधन हेतु भी उक्त दरें निर्धारित की गयी।”

अतः उपरोक्तानुसार परीक्षा समिति में लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(डॉ० अमित कुमार राय)  
परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक **COE-482** /COE-31(II)/ DSMNRU/ परीक्षा समिति /2024-25

दिनांक:- 17 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा० कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव, विश्वविद्यालय।
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/निदेशक, विश्वविद्यालय।
4. समस्त शिक्षकवृन्द, विश्वविद्यालय।
5. सम्बन्धित अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
6. सिस्टम एनालिस्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. परीक्षा विभाग के समस्त प्रकोष्ठ एवं अनुभाग को अनुपालनार्थ।
8. गार्ड फाइल।

(डॉ० अमित कुमार राय)  
परीक्षा नियंत्रक